प्ररूप–18
(नियम 35 देखें)

नामांकन पत्र

'ग्राम सभा ..... के ..... (निर्वाचन क्षेत्र) से सदस्य का निर्वाचन।

'ग्राम सभा ..... से प्रधान का निर्वाचन।

*ग्राम सभा ..... से उप–प्रधान का निर्वाचन।

*पंचायत समिति ..... के ..... निर्वाचन * क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन।

---

*जिला परिषद् ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन।

मैं उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नामांकन करता हूं :–

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता या पति का नाम .....

डाक पता ..... उसका नाम ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद् ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र ..... के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या.....पर दर्ज है।

मेरा नाम ..... ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र ..... के लिए निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या.....पर दर्ज है।

तारीख..... **प्रस्थापक का नाम और हस्ताक्षर।**

मैं ..... उपर्युक्त, अभ्यर्थी, इस नामांकन से अनुमत हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि.–

(क) मैंने .....वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ख) मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने राज्य सरकार, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या सहकारी सोसाईटी से सम्बन्धित या उन द्वारा या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई अथवा अधिगृहीत किसी भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है, और विधि के अधीन किसी अन्य निरर्हता से भी ग्रस्त नहीं हूं;

(ग) मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं ..... जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो अनुसूचित जाति/जनजाति है।

(घ) मैंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 (2) के अधीन यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया ''प्रमाण–पत्र'' संलग्न कर दिया है।

(ङ) मैंने न तो कभी स्वापक पदार्थ का उपयोग करूंगा/करूंगी और न ही पोस्त, अफीम और गाँजे (भांग) की खेती करूंगा/करूंगी तथा अन्यों को स्वापक पदार्थ का उपयोग न करने और पंचायत क्षेत्र में पोस्त, अफीम और गाँजे (भांग) की खेती न करने के लिए भी प्रेरित करूँगा/करूँगी।

तारीख.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या..... यह नामांकन पत्र मुझे.....अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा..... (स्थान) पर.....(समय) पर.....(तारीख) को परिदत्त किया गया था।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

(नामांकन पत्र को मंजूर या नामंजूर करने का रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय)

मैंने विधि के अनुसार नामांकन पत्र की परीक्षा कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है.–

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को न तो अस्वीकृत किया गया है, और न ही उसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ली है और इसलिए उसे .....(प्रतीक का नाम) एतद्द्वारा आबंटित किया जाता है।

तारीख.....

रिटर्निंग ऑफिसर।

नामांकन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा तथा नाम वापस लेने की सूचना (नोटिस)

(इस नामांकन पत्र के प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा)।

नामांकन पत्र की क्रम संख्या.....

ग्राम सभा ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के निर्वाचन।

ग्राम सभा ..... से प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन।

पंचायत समिति ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन।

जिला परिषद ..... के ..... निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के निर्वाचन।

के लिए अभ्यर्थी के नामांकन पत्र अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा मुझे.....(तारीख).....(समय) पर मेरे कार्यालय में परिदत्त किए गए थे। सभी नामांकन पत्रों की ..... (स्थान)..... (तारीख).....(समय) पर संवीक्षा की जाएगी।

अभ्यर्थिता.....(तारीख).....(समय) तक वापिस ली जा सकेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए नियत समय के अवसान के तुरन्त पश्चात् प्रतीक आबंटित किया जा सकेगा।

तारीख..... **रिटर्निंग ऑफिसर।**

---

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।''।

प्ररूप 18–क
(नियम 35 (2) देखें)
(अदेय प्रमाण पत्र)

.....ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय.....

.....जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत अभिलेख के अनुसार, श्री/श्रीमति/कुमारी.....

.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

.....निवासी ग्राम पंचायत.....ग्राम.....डाकघर.....

.....विकास खण्ड.....जिला.....हिमाचल पद्रेश से पंचायत द्वारा अधिरोपित कर का कोई बकाया या सभा, समिति या जिला परिषद् को देय किसी प्रकार का बकाया या प्रतिधारित रकम, जो सभा, समिति या जिला परिषद निधि का भाग है, की कोई रकम देय नहीं है।

सचिव
जिला परिषद/पंचायत समिति.....

सचिव/सहायक.....
ग्राम पंचायत.....
विकास खण्ड.....
जिला.....

टिप्पणीः–ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

** *''जो लागू न हो उसे काट दें।*

प्ररूप–19

(नियम 36 देखें)

राज्य की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्ररूप

मैं.....ग्राम पंचायत...../पंचायत समिति.....

जिला परिषद्.....में भरे जाने वाले स्थानों के लिए नामांकित किया गया अभ्यर्थी परमात्मा के नाम शपथ लेता हूं/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं कि और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।